न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 108 सन 2019

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. उप पंजीयक रामगढ/नोहर तहसील नोहर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 24/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक में सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक में सायल एवं गैरसायल न0 1 दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095है भूमि में सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न0 1 सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता सयुक्त परिवार का कर्ता खानदान है ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35 की 4.0590है भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी जिसका बेयनामा परिवार के मुखिया होने के कारण गैरसायल न0 1 के नाम करवा दिया गया तथा शेष भूमि गैरसायल न0 1 को विरास्तन से प्राप्त हुई है इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जबकि सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने से सायल के खातेदारी हकों का हनन होता है तथा गैरसायल न0 1 सायल एवं दावा मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हकों को नुकसान पहुचाने की नियत से वाद भूमि को रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक , ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक , रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायल वाद भूमि का किसी भी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही विवादित भूमि के किसी भाग पर सायल का कब्जा काश्त है सायल को विवादित भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है गैरसायल न0. 1 की विवादित भूमि स्वअर्जित व खरीदशुद्वा भूमि है इसलिये सायल को वाद /प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है गैरसायल रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन जारी नही किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल वृद्व बीमार व्यक्ति है जिसे अपने ईलाज के लिये किसान केडिट कार्ड बनाना आवश्यक है ताकि वह अपना ईलाज करवा सके सायल ने समस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा रखा है।

गैरसायल न0 1 ने केन्द्रीय सहकारी बैक हनुमानगढ से ऋण स्वीकृत करवा रखा जो स्थगन आदेश के कारण रूका हुआ है पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था पुनः गैरसायल का परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आये है वास्तविकता को छुपा कर दुसरों के बहकावें में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने एवं गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार स्वअर्जित काश्तकार होने के कारण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया गया शेष गैरसायल फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही हमने उभयपक्षों की बहस सुनी।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक में सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक में सायल एवं गैरसायल न0 1 दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095है भूमि में सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायल एवं गैरसायल न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न0 1 सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता सयुक्त परिवार का कर्ता खानदान है ललानाबास श्योपरा के खसरा न0 35 की 4.0590है भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी जिसका बेयनामा परिवार के मुखिया होने के कारण गैरसायल न0 1 के नाम करवा दिया गया तथा शेष भूमि गैरसायल न0 1 को विरास्तन से प्राप्त हुई है इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जबकि सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने से सायल के खातेदारी हकों का हनन होता है तथा गैरसायल न0 1 सायल एवं दावा मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हकों को नुकसान पहुचाने की नियत से वाद भूमि को रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक , ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक , रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल वाद भूमि का किसी भी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही विवादित भूमि के किसी भाग पर सायल का कब्जा काश्त है सायल को विवादित भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है गैरसायल न0. 1 की विवादित भूमि स्वअर्जित व खरीदशुद्वा भूमि है इसलिये सायल को वाद /प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है गैरसायल रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन जारी नही किया जा सकता है।

गैरसायल वृद्व बीमार व्यक्ति है जिसे अपने ईलाज के लिये किसान केडिट कार्ड बनाना आवश्यक है ताकि वह अपना ईलाज करवा सके सायल ने समस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा रखा है।

गैरसायल न0 1 ने केन्द्रीय सहकारी बैक हनुमानगढ से ऋण स्वीकृत करवा रखा जो स्थगन आदेश के कारण रूका हुआ है पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था पुनः गैरसायल का परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आये है वास्तविकता को छुपा कर दुसरों के बहकावें में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने एवं गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार स्वअर्जित काश्तकार होने के कारण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक , ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक , रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में प्रतीत होता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है इसलिये सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का हक हिस्सा है सायल द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 18/3 की 1.0880हैक 56/3 की 1.0410हैक कुल 2.1290हैक, रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 433/1 की 2.095हैक भूमि विरास्तन से गैरसायल को प्राप्त होनी प्रतित होती है जो दावा में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा किन्तु ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक , के सम्बध में ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किये जिससे पैतृक या विरास्तन से प्राप्त होना माना जा सके सायल का मात्र कथन है कि पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई है किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है।

गैरसायल न0 1 का कथन है कि वाद भूमि स्वअर्जित है यह कथन स्वीकार योग्य नही है रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक भूमि गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत बेयनामा के अनुसार खरीदशुद्वा भूमि है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है यह भूमि स्वअर्जित भूमि मानी जा सकती है।

रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक भूमि गैरसायल न0 1 एवं अन्य काश्तकारों के दर्ज है सायल उक्त समस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा करवा सकता है जबकि वह अपने हकों की मांग केवल गैरसायल से कर सकता है अन्य काश्तकारों से किसी प्रकार की मांग किये जाने के सम्बध में किसी प्रकार का कथन व्यक्त नही किया गया है।

रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम सयुक्त खाते में खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है अर्थात स्वअर्जित होनी मानी जा सकती है अर्थात गैरसायल न0 1 खरीदशुद्वा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है यदि पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति खरीददार काश्तकार अर्थात गैरसायल न0 1 को होगी ना की सायल को।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 13.08.2019 को रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 35/4.0590है पर जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है शेष भूमि पर स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर